



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक-11.05.2024

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 157/2024 धारा  
452/352/323/504/506 भादवि में वाँछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.05.2024 को थाना दोघट पर वादी श्री बबला पुत्र जयपाल निवासी ग्राम सूजती थाना दोघट जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तगण 1.हरवीर पुत्र जयपाल, 2.राजू पुत्र जयपाल, 3.धन्नु पुत्र जयपाल व 4.कपिल पुत्र राजू निवासी ग्राम सूजती थाना



दोघट जनपद बागपत द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी व वादी के परिवार के साथ गाली-गलौच करते हुये लाठी-डन्डो से मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 157/2024 धारा 452/352/323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने पर मु0अ0सं0 157/2024 धारा 452/352/323/504/506 भादवि में वाँछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. हरवीर पुत्र जयपाल निवासी ग्राम सूजती थाना दोघट जनपद बागपत ।
2. राजू पुत्र जयपाल निवासी ग्राम सूजती थाना दोघट जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री अखिलेश यादव थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2- हो.गा. 418 मनीष कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक-11.05.2024

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 155/2024 धारा 452/354/506 भादवि में वाँछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने पर मु0अ0सं0 155/2024 धारा 452/354/506 भादवि में वाँछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आदित्य पुत्र अखिलेश नि0 ग्राम ईदरीशपुर थाना दोघट जनपद बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

3- उ0नि0 श्री रजत ढाका थाना दोघट जनपद बागपत ।

4- हो.गा. 411 रामपाल थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक-11.05.2024

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से दिल्ली से चोरी की हुई 01 मो0सा0 हीरो स्प्लेंडर प्लस नम्बर DL5SCM9768 बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से दिल्ली से चोरी की



हुई एक मो0सा0 हीरो स्प्लेन्डर नं0 DL5SCM 9768 बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 329/24 धारा 411/414 भादवि पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सन्नी उर्फ राजा पुत्र नरेश निवासी ग्राम पांची थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

### बरामदगी का विवरण-

- मोटर साईकिल हीरो स्प्लेंडर प्लस नम्बर DL5SCM9768 (सम्बन्धित एमबी थैप्ट मु0अ0सं0 036054/22 धारा 379 भादवि दिल्ली क्राईम ब्रान्च)

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह गौतम थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री दीपक कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 216 नागेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4-का0 666 रघुवीर सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बालैनी

दिनांक 11.05.2024

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 20/24 धारा 379/411/414 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद

|

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.02.24 को थाना बालैनी पर अनुराग पुत्र हेमराज त्यागी निवासी ग्राम मुकारी थाना बालैनी जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोरों द्वारा वादी के ट्यूबवैल जंगल ग्राम मुकारी से केबल, बिजली का सामान व ट्रैक्टर का लोहे का सामान व एक डी0ए0पी0 का बैग आदि चोरी कर लिये है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बालैनी पर मु0अ0सं0 20/24 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया।



### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी द्वारा थाने के मु0अ0सं0 20/24 धारा 379/411/414 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बालैनी पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**नोट:** उपरोक्त अभियोग में दिनांक 14.02.24 को अभियुक्तगण 1.गौरव पुत्र विनोद, 2.विकास उर्फ बंटी पुत्र विनोद, 3.शेखर पुत्र योगेश, 4.अतुल उर्फ बिल्ला पुत्र मुकेश निवासीगण ग्राम मुकारी थाना बालैनी जनपद बागपत 5.कमल कबाडी पुत्र श्रीपाल निवासी ग्राम पिलाना थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत को चोरी किये गये माल के साथ व दिनांक 22.02.24 को अभियुक्त सन्नी पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम मुकारी थाना बालैनी जनपद बागपत को घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक खोखा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार किया जा चुका है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आशीष उर्फ टुक्की पुत्र सीताराम निवासी ग्राम मुकारी थाना बालैनी जनपद बागपत।

### बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध चाकू ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

- 1-मु0अ0सं0 168/23 धारा 323/324/504/506 भादवि थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 2-मु0अ0सं0 20/24 धारा 379 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 3-मु0अ0सं0 104/24 धारा 136 विद्युत अधि0 थाना एपीटी जनपद बागपत ।
- 4-मु0अ0सं0 2240/23 धारा 136 विद्युत अधि0 थाना एपीटी जनपद बागपत ।
- 5-मु0अ0सं0 2275/22 धारा 136 विद्युत अधि0 थाना एपीटी जनपद बागपत ।
- 6-मु0अ0सं0 2276/22 धारा 136 विद्युत अधि0 थाना एपीटी जनपद बागपत ।
- 7-मु0अ0सं0 844/23 धारा 136 विद्युत अधि0 थाना एपीटी जनपद बागपत ।
- 8-मु0अ0सं0 1413/23 धारा 136 विद्युत अधि0 थाना एपीटी जनपद बागपत ।
- 9-मु0अ0सं0 551/23 धारा 136 विद्युत अधि0 थाना एपीटी जनपद बागपत ।
- 10-मु0अ0सं0 927/23 धारा 136 विद्युत अधि0 थाना एपीटी जनपद बागपत ।
- 11-मु0अ0सं0 3024/23 धारा 136 विद्युत अधि0 थाना एपीटी जनपद बागपत ।
- 12-मु0अ0सं0 45/24 धारा 136 विद्युत अधि0 थाना एपीटी जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-थानाध्यक्ष सुश्री साक्षी सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री सलीम अहमद थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 3-रि0उ0नि0 भुवनेश्वर कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 4-रि0उ0नि0 सुजीत सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 5-है0का0 440 राशिद खान थाना बालैनी जनपद बागपत ।